FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प पिचियाक

वादीगण बनाम प्रतिवादी

रामकिशोर व अन्य भंवरलाल

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–140/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.11.2021	प्रार्थीगण रामकिशोर पुत्र बुधाराम वगैराह जातियान जाट निवासीगण पिचियाक तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प पिचियाक में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बंध जसवंत सागर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 660 रकबा 0.1861 हैक्टेयर स्थित है तथा इसी प्रकार ग्राम बंध जसवंत सागर की भूमि खसरा नम्बर 416 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 517 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 518 रकबा 3.6971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 520 रकबा 6.4963 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 10.8649 हैक्टेयर स्थित है इसी प्रकार ग्राम बंध जसवंत सागर की भूमि खसरा नम्बर 594 रकबा 0.64752 हैक्टेयर स्थित है इसी प्रकार ग्राम बंध जसवंत सागर की भूमि खसरा नम्बर 655 रकबा 2.2733 हैक्टेयर खसरा नम्बर 661 रकबा 0.7766 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.0499 हैक्टेयर स्थित है जिसकी संयुक्त खातेदारी भूमि [illegible] के पिता बुधाराम पुत्र अर्जुनराम जाट की थो। बुधाराम का देहान्त दिनांक 29.07.2017 को हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत कराने हेतु प्रार्थीगण हल्का पटवारी के पास गये ओर हल्का पटवारी ने	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:44 IST
Reason: SelfAttested

बताया कि आपके पिता का नाम सेटलमेंट में केरिया पुत्र अर्जुनराम दर्ज किया हुआ है। आप सक्षम न्यायालय में जाकर निर्णय पारित करावें तब ही आपके पिता की भूमि का आपके नाम का फौतेदगी नामांतकरण स्वीकृत किया जायेगा। इस कारण प्रार्थीगण ने प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प पिचियाक में दावा को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे पिता का नाम सेटलमेन्ट में बुधाराम के बजाय केरिया दर्ज कर दिया गया है जबकि वादीगण के पिता का नाम बुधाराम है तथा सरकारी दस्तावेज पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड बुधाराम पुत्र अर्जुनराम तथा बुधाराम के पुत्र के दस्तावेज कुन्दन पुत्र बुधाराम, रामकिशोर पुत्र बुधाराम, संतोष, श्रवण, ललीता, लीलावतो पुत्रीयां बुधाराम, फैनीदेवी पत्नी बुधाराम के नाम से आधार कार्ड जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि संयुक्त खातेदारी भूमि में केरिया पुत्र अर्जुनराम के स्थान पर वादीगण रामकिशोर, कुन्दन पिसरान बुधाराम, श्रवण, संतोष, ललीता, लीलावती पुत्रीयां बुधाराम, फैनीदेवी पत्नी बुधाराम की संयुक्त गैर खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी रामकिशोर, कुन्दन, श्रवण, संतोष, ललीता, लीलावती, फैनीदेवी का आधारकार्ड आदि पेश किये है। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत पिचियाक द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादीगण ने मजमा आम में निवेदन किया कि हमारे पिता व पति का नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में केरिया लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण हमारा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:44 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादीगण ने प्रस्तुत मामले में खतोनी बन्दोबस्त नकल को पेश नहीं किया है तथा नही सम्पूर्ण जमाबंदी आदि की नकल को पेश किया है। इस कारण वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव के कारण खारिज किया जाता है। वादीगण नया दावा पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। इसी माफिक

	निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम पिचियाक में खुले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प पिचियाक

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
01 रामकिशोर पुत्र बुधाराम		राजस्थान सरकार
02 कुन्दन पुत्र बुधाराम		तहसीलदार बिलाड़ा
03 श्रवण पुत्री बुधाराम		
04 संतोष पुत्री बुधाराम		
05 ललीता पुत्री बुधाराम		
06 लीलावती पुत्री बुधाराम		

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:44 IST
Reason: SelfAttested

07 फैनीदेवी पत्नी बुधाराम जातियान जाट

निवासीगण पिचियाक तहसील बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 140 / 2021

निर्णय **दिनांक** :— 10.11.. 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या—1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव के कारण खारिज किया जाता है। वादीगण नया दावा पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:44 IST
Reason: SelfAttested